सिविल विविध

आर. एस. नरूला न्यायमूर्ती के समक्ष .

कंपनी अधिनियम के मामले में और रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, रोहतक के मामले में।
महाबीर प्रसाद आदि, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, आदि - *उत्तरदाता।*

परिसमापन 1971 का विविध संख्या 135

8 नवंबर, 1971।

कंपनी अधिनियम (1956 का I) - धारा 87 (1) (बी) - वायदा संविदा *(विनियमन)* अधिनियम (*1952* का LXXI*)* - *धारा* 6, 9 ए *(1) (डी) और* (2) - कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद जो प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी में उसके द्वारा रखे गए शेयर के बावजूद एक वोट रखने का प्रावधान करते हैं - क्या *धारा* 87 (1*) (बी)* के विपरीत है । *कंपनी अधिनियम - कंपनी अधिनियम - इस अधिनियम की धारा 6,* वायदा संविदा *(विनियमन)* अधिनियम - धारा 9 ए (2) के तहत कंपनी को "मान्यता प्राप्त संघ" के रूप में मान्यता देने से पहले बनाया *गया ऐसा अनुच्छेद - क्या उस पर लागू होता है - केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है और न ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित लेख* - धारा *9 ए (1) (डी) - क्या इसकी रक्षा करता है -धारा* 9 ए (2) *की आवश्यकता - क्या अनिवार्य है।*

और रूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 87 (1) (बी) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को मतदान की स्थिति में कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात में मतदान का अधिकार प्रदान करती है। यदि किसी कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के किसी अनुच्छेद में किसी शेयरधारक के पास उसके द्वारा रखे गए शेयर के बावजूद एक वोट होने का प्रावधान है, तो ऐसा अनुच्छेद क्या है? *अल्ट्रा वाइरस* धारा 87 (1) (बी) (पैरा 4)

और रूप वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 9क (2) केवल ऐसे नियमों पर ही लागू नहीं होती है जो धारा 6 के अंतर्गत किसी संघ को मान्यता प्रदान किए जाने के बाद अधिनियम की धारा 9 (ए) (!1) के अंतर्गत बनाए गए या संशोधित किए गए हैं। यह प्रावधान उन नियमों पर भी लागू होता है जो किसी संघ को ऐसी मान्यता देने से पहले तैयार किए गए होंगे। धारा 9ए की उपधारा (1) मूल रूप से बनाए गए नियमों के साथ-साथ बाद में संशोधित नियमों से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा किसी संघ को दी गई मान्यता से पहले या बाद में बनाए गए नियमों के बीच प्रावधान में कहीं भी कोई रेखा नहीं खींची गई है। धारा 9ए की उप-धारा (2) सीधे उस धारा की उप-धारा (1)) के तहत बनाए गए सभी नियमों से संबंधित है। (पैरा 7)

यह माना गया है कि वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 9ए (2) यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि धारा 9 ए (1) के तहत बनाया गया नियम जो कंपनी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि नियम केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है। विनियमन अधिनियम की धारा 9 ए (2) की आवश्यकता निर्देशिका नहीं है, लेकिन अनिवार्य है। धारा 9ए एक विशेष प्रावधान है और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर प्रभावी किया जाना चाहिए जो इसके द्वारा बनाया गया है। इस धारा की उप-धारा (1) को उप-धारा (2) की पूर्ति के अधीन बनाया गया है। इसलिए जहां किसी कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन का एक अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी में रखे गए शेयर के बावजूद एक वोट होगा, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है और अधिनियम की धारा 6 के तहत कंपनी को "मान्यता प्राप्त संघ" के रूप में मान्यता देने के बाद धारा 9 (ए) (2) के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, अनुच्छेद इस तरह के अनुमोदन और प्रकाशन तक मान्य नहीं होगा।

(पैरा 6 और 7)

महाबीर प्रसाद आदि थे। *रोहतक* कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड आदि (नरूला, जे।

कंपनी अधिनियम की धारा 403 के तहत आवेदन *को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पढ़ा* जाता है जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी कंपनी को *8* नवंबर, *1971 को बैठक आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया जाए* ।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील भागीरथ दास और वकील एसके हीराजी ने पैरवी की।

उत्तरदाताओं की ओर से *आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता (आई. एस. बलहरा, उनके साथ वकील;*

निर्णय

नरूला, न्यायमूर्ती - (1) यह रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाता है) के छह सदस्यों का आवेदन है जिसमें कंपनी को 8 नवंबर, 1971 (आज) को अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। यह आवेदन 1971 के सीओ नंबर 89 के परीक्षण के दौरान किया गया है, जो उन्हीं याचिकाकर्ताओं द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397, 398 और 399 के तहत कंपनी और उसके छह पदाधिकारियों के खिलाफ दायर किया गया है (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) कुछ शेयरों के आवंटन को रद्द करने के लिए। कंपनी की वार्षिक आम बैठक के आयोजन पर रोक लगाने और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 79 में संशोधन का निर्देश देने और अन्य सहायक राहतों के लिए। कंपनी की वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर के लिए तय की गई थी,

1971 की 1971 की एलएम संख्या 119, मूल रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों को कंपनी की आम बैठक आयोजित करने से रोकने के लिए कहा गया था, जिसे मूल रूप से विभिन्न आधारों पर 30 सितंबर, 1971 के लिए तय किया गया था। उन आधारों में से एक यह था कि बैठक के लिए तय की गई तारीख नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बैंक अवकाश होने के कारण उस तारीख को बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। 29 सितंबर, 1971 को कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 1971 को आयोजित नहीं की जाएगी (क्योंकि यह बैंक अवकाश है) और निदेशकों द्वारा आम बैठक की एक नई तारीख तय की जाएगी, जिसके लिए कानून के अनुसार सदस्यों को नए नोटिस जारी किए जाएंगे। कंपनी के विद्वान वकील के उपर्युक्त बयान से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं से निपटना मेरे द्वारा अनावश्यक माना गया था। जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि बैठक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। L.M.Noइसलिए, 1971 की धारा 119 को मैंने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह निरर्थक है, लेकिन इसके बिना। लागत के बारे में कोई भी आदेश, 29 सितंबर, 1971 को।

(दो)12 अक्टूबर, 1971 को निदेशकों द्वारा 8 नवंबर, 1971 को दोपहर 2 बजे कंपनी की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। 1 नवंबर, 1971 को, वर्तमान आवेदन तब दायर किया गया था।

(तीन) बैठक के आयोजन पर रोक लगाने के लिए एकमात्र आधार पर दबाव डाला गया है कि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 79, जो निम्नानुसार है, अधिनियम की धारा 87 (एल) (बी) के दायरे से बाहर है: -

(चार) एक व्यापारिक सदस्य, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा कोई भी शेयरधारक मतदान करने का हकदार नहीं होगा। किसी भी आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखे गए किसी भी मामले के संबंध में, जिसमें उनके कार्यात्मक हितों के कारण केवल व्यापारिक सदस्य रुचि रखते हैं। *प्रत्येक शेयरधारक के पास एक वोट होगा, चाहे वह हाथ दिखाकर हो या चुनाव के समय, चाहे अध्यक्ष को छोड़कर उसके पास कोई भी हिस्सा हो* , जिसके पास इसके अलावा, एक निर्णायक वोट

होगा |

महाबीर प्रसाद आदि थे। *रोहतक* कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड आदि (नरूला, जे।

अधिनियम की धारा 87 (1) में प्रावधान है-

"मतदान का अधिकार। -

(एक) धारा 89 के उपबंधों और धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए-

(अ) शेयरों द्वारा सीमित और उसमें कोई इक्विटी शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के प्रत्येक सदस्य को ऐसी पूंजी के संबंध में, कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक संकल्प पर मतदान करने का अधिकार होगा; और

(आ) मतदान पर उसका मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के उसके हिस्से के अनुपात में होगा।

उस धारा का बाकी हिस्सा हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है, न ही इस मामले को तय करने के लिए अधिनियम की धारा 89 और 92 के प्रावधान सामग्री हैं।

(चार) श्री जीभागीरथ दासली का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 87 I (1) (बी) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को चुनाव के मामले में कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात में मतदान का अधिकार प्रदान करती है, जबकि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 79 प्रत्येक शेयरधारक को केवल एक देकर कंपनी के सदस्यों के उस वैधानिक अधिकार का एक बड़ा हिस्सा छीन लेता है। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के बावजूद वोट दें। इस तर्क के उत्तर में, कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद सरूप ने वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 9ए (1) (डी) की ओर मेरा ध्यान आकषत किया है।

"9ए (1) एक मान्यता प्राप्त संघ निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए नियम बना सकता है या उसके द्वारा बनाए गए किसी भी नियम में संशोधन कर सकता है, अर्थात्:-

(अ) * * * *

(आ) * * ♦ »

(इ) * * *

(ई) किसी भी बैठक में एसोसिएशन के समक्ष रखे गए किसी भी मामले के संबंध में मतदान के अधिकारों का विनियमन ताकि

प्रत्येक सदस्य केवल एक वोट का हकदार हो सकता है, भले ही एसोसिएशन की पेड-अप इक्विटी पूंजी का उसका हिस्सा कुछ भी हो।

(उ) * * ♦

(ऊ) * ♦ * *

(ऋ) * * * *

(पाँच) विनियमन अधिनियम का उपर्युक्त प्रावधान इस मामले में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि कंपनी शुरू में कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 79 में निहित नियम बना सकती है और साथ ही अपने मूल लेखों में संशोधन कर सकती है ताकि ऐसा प्रावधान किया जा सके। हालांकि, श्री भागीरथ दास ने बताया है कि किसी कंपनी (जो विनियमन अधिनियम की धारा 2 (जे) के अर्थ के भीतर एक मान्यता प्राप्त संघ हो सकती है) को प्रदान की गई सक्षम शक्ति धारा 9 ए की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है। उप-धारा (2) में लिखा है:

"9 ए (2)। उपधारा (1) के खंड (क) से (छ) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में बनाए गए या संशोधित किए गए किसी मान्यता प्राप्त संघ के नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते हैं और उस सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं और इस प्रकार बनाए गए या संशोधित नियमों को अनुमोदित करते समय केंद्र सरकार उनमें ऐसे संशोधन कर सकती है जो वह उचित समझे, *और इस तरह के प्रकाशन पर*, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों को कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद वैध रूप से बनाया गया माना जाएगा।

- एम

(छः) विद्वान वकील की तब दलील यह थी कि प्रतिवादी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 79 को अभी तक वैध रूप से नहीं माना 4
जा सकता है क्योंकि (i) यह नहीं दिखाया गया है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, और (ii) किसी भी मामले में इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं दिखाया गया है। वकील ने धारा 9 ए की उप-धारा (2) में "ऐसे प्रकाशन पर" अभिव्यक्ति पर बहुत जोर दिया है ताकि इस प्रस्ताव को प्रचारित किया जा सके कि विनियमन अधिनियम की धारा 9 ए (एल) (डी) के तहत बनाया गया कोई भी नियम, जो अधिनियम की धारा 87 (1) (बी) के साथ विरोधाभासी है, को तब तक वैध नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसे मंजूरी नहीं दी जाती है और धारा 9क की उपधारा (2) में उल्लिखित सरकारी राजपत्र में प्रकाशित। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि कंपनी विनियमन अधिनियम की धारा 2 (जे) के अर्थ के भीतर एक "मान्यता प्राप्त संघ" है, श्री आनंद सरूप ने प्रस्तुत किया है कि कंपनी ने अपने एसोसिएशन के लेख तैयार किए, उन्हें वायदा बाजार आयोग, बॉम्बे से अनुमोदित किया, इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, फिर केंद्र सरकार के साथ चर्चा की, फिर केंद्र सरकार के साथ चर्चा की, बाद में टेलीग्राम अनुलग्नक आर.2 प्राप्त हुआ, जिसमें केंद्र सरकार के परामर्श से अनुच्छेदों को और संशोधित किया गया, संशोधित लेखों में अनुच्छेद 79 शामिल था, जैसा कि अब यह है, इन्हें 7 सितंबर, 1970 को आयोजित कंपनी की एक आम बैठक में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, संशोधित लेखों को वायदा बाजार आयोग को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया था, पत्र आर 3 के साथ बॉम्बे को वास्तव में अनुमोदित किया गया था और इन सभी कदमों के बाद ही विनियमन अधिनियम की धारा 5 के तहत कंपनी के आवेदन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी और 28 दिसंबर की केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गुर में लेनदेन करने के लिए विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत कंपनी को मान्यता दी गई थी। 1970. वकील का तर्क है कि विनियमन अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अग्रिम अनुबंधों के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित एक संघ के नियम, जैसे कि हमारे सामने कंपनी, सामान्य रूप से ऐसे संघ के गठन से संबंधित हैं, उन चीजों में से हैं जिन्हें केंद्र सरकार को एसोसिएशन को मान्यता देने से पहले देखना चाहिए। और जो नियम केंद्र सरकार को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनमें विशेष रूप से प्रबंधन के गठन और शक्तियों से संबंधित नियम और कंपनी के व्यवसाय को करने के तरीके से संबंधित नियम शामिल होने चाहिए। श्री आनंद सरूप के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुच्छेद 79, उस मैमर से संबंधित है जिसमें कंपनी के व्यवसाय का लेनदेन किया जाना है। उस आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि अंतिम रूप से तैयार किए गए एसोसिएशन के अनुच्छेदों की प्रति, जिसमें प्रासंगिक नियम शामिल थे, विनियमन अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई है और 28 दिसंबर, 1970 को विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत कंपनी को मान्यता दी गई है, यह माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने कम से कम विवादित नियम को निहित रूप से अनुमोदित किया है। श्री आनंद सरूप के अनुसार, यह अधिनियम की धारा 9 ए की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के बराबर है।

विनियमन अधिनियम। चूंकि यह मुद्दा मुख्य मामले में भी उठता है, इसलिए मैं इस स्तर पर इस पर अंतिम रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। साथ ही,

महाबीर प्रसाद आदि थे। *रोहतक* कृष्णा ट्रेडिंग
कंपनी लिमिटेड आदि (नरूला, जे।

मैं इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि विनियमन अधिनियम की धारा 9क (2) यह पूरी तरह स्पष्ट करती है कि धारा 9क (1) के अंतर्गत बनाया गया कोई भी नियम जो कंपनी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब तक वैध नहीं माना जा सकता है जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद नियम को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है। इस आवेदन के पैरा 8 में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी-कंपनी के अनुच्छेद एफ एसोसिएशन को विनियमन अधिनियम की धारा 9 ए (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा ^ अनुमोदित नहीं किया गया है। उसी पैराग्राफ में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अनुमोदन का पता लगाने के लिए गहन खोज की है और केंद्र सरकार के राजपत्र की किसी भी प्रति से इसका पता लगाने में सक्षम नहीं हैं। इस आरोप के जवाब में, उत्तरदाताओं ने यह नहीं कहा है कि नियमों को या तो केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था या उन्हें कभी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह सब! उन्होंने कहा है कि धारा 9ए (2) केवल किसी एसोसिएशन को मान्यता दिए जाने के बाद बनाए गए या संशोधित नियमों पर लागू होती है और जहां तक कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 79 को इस तरह की मान्यता से पहले तैयार किया गया था, उसके संबंध में विनियमन अधिनियम की धारा 9 ए (2) का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। पैराग्राफ 8 का शेष भाग केवल निहित अनुमोदन से संबंधित है जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

(सात) यह निर्णय लिया जाना है कि क्या विनियमन अधिनियम की धारा 9ए (2) केवल ऐसे नियमों पर लागू होती है जो धारा 6 के तहत किसी एसोसिएशन को मान्यता दिए जाने के बाद विनियमन अधिनियम की धारा 9 ए (1) के तहत बनाए गए या संशोधित किए जाते हैं, या क्या यह प्रावधान उन नियमों पर भी लागू होता है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता देने से पहले किसी संघ द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। धारा 9क (1) के आरंभिक शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, मैं प्रावधान में ऐसा कोई भेद नहीं पा रहा हूं। उप-धारा मूल रूप से बनाए गए नियमों के साथ-साथ बाद में संशोधित नियमों से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा किसी संघ को दी गई मान्यता से पहले या बाद में बनाए गए नियमों के बीच प्रावधान में कहीं भी कोई रेखा नहीं खींची गई है। धारा 9ए की उप-धारा (2) सीधे उस धारा की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए सभी नियमों से संबंधित है। इसलिए, मैं श्री आनंद सरूप की इस बात से सहमत नहीं हूं कि धारा 9ए (2) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को मान्यता प्रदान करने से पहले धारा 9 ए (1) के तहत बनाए गए नियमों पर लागू नहीं होती है (28 दिसंबर, 1970 को)। इस स्थिति में यह माना जाना चाहिए कि जब तक

उत्तरदाता यह दिखा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अनुच्छेद 79 प्रकाशित किया था, उक्त अनुच्छेद अब तक प्रभावी नहीं हुआ है। ऐसा होने पर, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन और प्रकाशन तक कंपनी की बैठकों में मतदान का अधिकार, अधिनियम की धारा 87 I (1) (बी) द्वारा शासित होगा। मैं श्री आनन्द सरूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि विनियमन अधिनियम की धारा 9क (2) की अपेक्षाएं केवल निर्देशिका हैं। धारा 9ए एक विशेष प्रावधान है। ऐसे विशेष उपबंधों को उनके द्वारा सृजित प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर लागू किया जाना है। धारा 9क की उपधारा (1) को विशेष रूप से उस धारा की उपधारा (2) की पूर्ति के अधीन बनाया गया है। यह पाते हुए कि धारा 9क (2) के अधीन किए गए उपबंध, अर्थात् सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के प्रभाव में आने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, मेरा मानना है कि विवादित प्रावधान को मान्य करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

(आठ) श्री आनंदी सरूप के पास अगला है; तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा के तहत, कंपनी की वार्षिक आम बैठक निर्धारित अवधि के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने अनुलग्नक आर 4 से प्रतिवादी-कंपनी को सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के एक पत्र का उल्लेख किया है कि कंपनी के अनुरोध पर बैठक आयोजित करने का समय डेढ़ महीने की अवधि के लिए अर्थात 15 नवंबर, 1971 तक बढ़ा दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि इस बैठक को रोक दिया जाता है जो आज दोपहर 2 बजे होने वाली है, तो कंपनी कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर होगी क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत विस्तारित समय के भीतर एक और बैठक आयोजित करना संभव नहीं होगा। वकील का यह तर्क मुझे पूरी तरह से अप्रासंगिक प्रतीत होता है। कंपनी को समय के भीतर अपनी बैठक आयोजित करनी चाहिए। यदि किसी भी परिस्थिति के कारण यह अपने नियंत्रण से बाहर है, तो यह कंपनी के लिए है कि वह रजिस्ट्रार से संपर्क करे और ऐसा करने में विफल रहने पर न्यायालय को दायित्व से मुक्त कर दिया जाए और अनुमति दिए गए समय के भीतर बैठक आयोजित न करने के लिए अदालत का अनुरोध किया जाए। किसी भी स्थिति में, मैं बैठक को रोक नहीं रहा हूं और इसलिए, यह विचार पूर्णत अप्रासंगिक है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं अधिनियम की धारा 403 के तहत न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूं कि आज होने वाली वार्षिक आम बैठक में (जब तक कि यह पहले से ही आयोजित और समाप्त न हो जाए क्योंकि अभी दोपहर 2.40 बजे हैं और बैठक दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित की गई थी)। मतदान के मामले में मतदान के अधिकार का प्रयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात में किया जाएगा जैसा कि धारा द्वारा आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 87 (1) (बी) और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 79 के अनुसार नहीं। यदि मतदान पहले ही हो चुका है और बैठक में मतदान की मांग की गई है और मतदान के अधिकार का उपयोग अधिनियम की धारा 87 के विपरीत किया गया है, तो यह याचिकाकर्ता के लिए होगा कि वह उन कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित कार्यवाही करे, अगर यह याचिकाकर्ताओं के लिए खुला है। बैठक के आयोजन पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि श्री आनंद सरूप ने कहा कि आज मामले में बहस शुरू होने से पहले किसी ने भी मतदान की मांग नहीं की है और अगर मतदान की मांग की जाती है तो भी इस मामले में बहस शुरू होने तक किसी ने भी यह तय नहीं किया था कि मतदान अधिनियम की धारा 87 आई (एल) (बी) या अनुच्छेद 79 के अनुसार होगा या नहीं। मुझे तर्क में बल लगता है और इसलिए, मैं बैठक के आयोजन पर रोक नहीं लगाता हूं, बल्कि केवल यह निर्देश देता हूं कि बैठक आयोजित की जाएगी (जब तक कि पहले से ही ऊपर कहा गया है) इस शर्त के अधीन कि मतदान के अधिकार का उपयोग अधिनियम की धारा 87 के तहत किया जाएगा, न कि अनुच्छेद 79 के तहत। इन कार्यवाहियों की लागत मुख्य याचिका के परिणाम का पालन करेगी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

अससंध, कर्नल

हरियाणा